

संख्या : 1393 / 78-2-2011-26आई.टी./2004

प्रेषक

वी.एन. गर्ग
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2011

विषय:-कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम्प्यूटर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित करने की नीति निर्धारित न होने के कारण निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की स्टोर इन्वेटरी बढ़ती जा रही है। अतः कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है।

2. विभागों में स्थापित 6 वर्ष पूर्व क्रय किये गए ऐसे कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण जो कार्य योग्य नहीं रह गए हैं तथा उनका अनुरक्षण संभव नहीं हो पा रहा है, निष्प्रयोज्य घोषित किये जा सकेंगे। कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का वार्षिक ह्रास मूल्य प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत दर को आधार मानते हुए किया जायेगा। उक्त नीति के क्रियान्वयन/अनुपालन हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नलिखित समितियाँ गठित की जाती हैं:-

क- यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उ0प्र0 शासन से संबंधित है तो शासन स्तर पर समिति निम्नवत् होगी:-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1- | संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव | अध्यक्ष |
| 2- | प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3- | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4- | उपमहानिदेशक, एनआईसी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |

कमश:2....

ख- यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से संबंधित है तो समिति निम्नवत् होगी:-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1- | विभागाध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2- | विभाग के वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखा प्रभाग के प्रमुख | सदस्य |
| 3- | विभाग में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञ | सदस्य |
| 4- | उपमहानिदेशक, एनआईसी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |

ग- यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संगठनों यथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/निकायों/परिषदों/स्वायत्तशासी निकायों आदि से संबंधित है, तो समिति निम्नवत् होगी:-


- | | | |
|----|--|---------|
| 1- | संबंधित संगठन के मुख्यकार्यकारी अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | संगठन के वित्त एवं लेखा प्रभाग के प्रमुख | सदस्य |
| 3- | संगठन के तकनीकी प्रभाग के प्रमुख | सदस्य |
| 4- | उपमहानिदेशक, एनआईसी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |

घ- यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण जनपदीय कार्यालयों से संबंधित है तो समिति निम्नवत् होगी:-

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------|
| 1- | संबंधित जिले का जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | संबंधित जिले का मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3- | संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी | सदस्य |
| 4- | जनपदीय कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी | सदस्य |
| 5- | एनआईसी का जनपदीय अधिकारी | सदस्य |

5. उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया सभी प्रकार के वित्तीय स्रोतों से कय किये गए कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों पर लागू होगी।


6. यह आदेश वित्त विभाग/न्याय विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(वी.एन. गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या (1)/78-2-2011 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (प्रथम एवं द्वितीय) उ०प्र० इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. उद्योग निदेशक, कानपुर।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
5. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
7. स्टाफ अफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
8. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को/यूपीएलसी, श्रीट्रान इंडिया लि०/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०/अपट्रान इंडिया लि०, लखनऊ।
9. प्रदेश के सभी सार्वजनिक उपकरणों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक निकायों/परिषदों/स्वायत्तशासी निकायों के मुख्यकार्यकारी अधिकारी।
10. उपमहानिदेशक, एनआईसी, लखनऊ।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ।
12. निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
13. वित्त लेखा अनुभाग-2 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4/गोपन अनुभाग-1
14. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
15. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग, उ०प्र० शासन।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुरेश चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव